

# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

क्र. सं.

फर्द अहकाम


मु. नं 84/17 तारीख 2 जून 4-12-17

उगवान - मैरु योगी बनाम सीताराप्र जोशी  
मेहन्दीपुर

प्रार्थना पत्र अस्थायी निवेदाज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्री महेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निवेदाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 Pt. Aet के तहत पेश किया। जमा बन्दी का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्र कर अप्रार्थी गणों के जरिये रजिस्टर्ड एंडी मोटिस से तलाव किया जाव। पत्रावली दिनांक 04-1-18 को पेश हो।

6420-32

  
जगदीश आर्य  
उपजिला कलक्टर  
टोडाभीम

4-1-18

प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी नं. 13, 16, 17 की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा Adv. ने कालांतराम पेश किया। तथा उन्होंने कथन किया कि प्रतिवादी नं. 14 फौत युक्त हैं। प्रतिवादी नं. 3, 4, 5, 6, 10, 19 खसूद सूफा उपस्थित नहीं हैं। प्रतिवादी नं. 1, 8, 11, 12 जे जोरिस जस के लिसे इस्काट किया है अतः अप्रार्थी नं. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 19 के फिद एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। अप्रार्थी नं. 2 के फौत होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। अप्रार्थी नं. 7, 15, 18 की शहीद आ प्राप्त नहीं हुई है। कस्तुजर तामील व पेश करने व काम सुनानी अप्रार्थी नं. 2, 14, पेश करे। वकील की अंतरिम अर्थात् निवेदाज्ञा के विषय पर बहस सुनी गई। सुपम हृदया माजला अप्रार्थी

# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
7-9-19	वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक 1-10-19 को पेश हो। [Signature]
1-10-19	वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी करौली पधारे है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक 5-11-19 को पेश हो। [Signature]
5-11-19	पत्रावली पेश हुई / प्रार्थी बकील उपस्थित नहीं हैं फर्द बार आवाज दितवाई गई फिर भी प्रार्थी एवं बकील प्रार्थी में से कोई भी उपस्थित नहीं है। अतः यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजिरी एवं अदम चैरकी में रजिस्ट्रिज किया जाता है। पत्रावली कैलन शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ चलाने रहे। [Signature] उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

